निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0 19/20 तारीख दायरा: 02.07.2020

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (प्रार्थी)

बनाम

ललितसिंह पुत्र स्वं0 लालसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम रतनपुरा थाना सारोला जिला झालावाड़ (अप्रार्थी)

प्रा0पत्र अन्तर्गत आर्म्स एक्ट

उपस्थित:— पेरोकार सरकार
श्री चरणसिंह अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक: 26.08.2020

प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 18.11.2019 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी के पिता के नाम 12 बोर बन्दूक सं0 7038 लाईसेन्स न0 1183/85 जारी था लाईसेन्सी के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी द्वारा विधिक वारिस के रूप में अप्रार्थी द्वारा 12 बोर गन फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट " लाईसेन्स लेने का उचित आधार नही होने से लाईसेन्स दिया जाना उचित नही है" को आधार बनाकर कार्यालय के आदेश कमांक/न्याय/15/आर्म्स/2860—63 दिनांक 01.04.2015 से आवेदन पत्र निरस्त किया जाने पर आवेदक द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 45/2015/अपील/आर्म्स/झालावाड़ निर्णय दिनांक 04.01.2016 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गयें। प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर प्रकरण 35/प्रा0पत्र/16 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 17.01.2018 से पूर्व में पारित निर्णय को यथावत रखा गया, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा में पुनः अपील की जाने पर प्रकरण संख्या 44/2018/अपील/आर्म्स/ झालावाड़ निर्णय दिनांक 18.11.2019 से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.01.2018 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर इस आशय के साथ रिमांड किया गया कि "अपीलान्ट द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सदभाविक आवश्यकता एवं गुणावगुण पर विचार कर समुचित तथ्यों का अवलोकन करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः तथ्यात्मक स्पीकिंग आदेश पारित करें।"

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा से प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया । प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय के आलोक में स्पष्ट रिपोर्ट बाबत पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को लिखा जाने पर उनके द्वारा पत्रांक 4387 दिनांक 20.07.2020 से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 51/1988 धारा 147,148,149,452,323 भा.द.स. थाना सारोलाकला पद दर्ज होना व आवेदक के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नही होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.1998 को दोषमुक्त किया जाना अंकन किया गया।

अप्रार्थी की और से अभिभाषक श्री चरणसिंह उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि तत्समय जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट,महोदय झालावाड़ द्वारा अप्रार्थी के फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र पर पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया था तत्समय की गई कार्यवाही उचित थी। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय जिला

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अप्रार्थी के फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र के प्रा0पत्र को गलत निरस्त किया गया था जबकि जिस शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया गया था वह प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त उत्तराधिकारी के रूप में फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु किया गया आवेदन था उक्त आवेदन पत्र के साथ सभी औपचारिकतांए पूर्ण की गई थी । मात्र पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट को आधार बनाकर मृतक के उत्तराधिकारी को फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है,शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट कमांक एसपीओ/झाला/ डीएसबी/आर्म्स/15/7668 दिनांक 17.04.2015 अनुसार " लाईसेन्स लेने का उचित आधार नही होने से लाईसेन्सं दिया जाना उचित नही है"दर्शित करते हुए असहमति में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, और तत्समय प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र का आवेदन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया था। जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त में प्रस्तुत करने पर प्रकरण न्यायालय हाजा में रिमाण्ड किये जाने पुर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.01.2018 से "आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को न्यायिक अधिकारी नही मानते हुए प्रशासनिक अधिकारी माना गया है व "प्रशासनिक अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शासन के हित तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयुध के अनुज्ञप्तिकरण के मामले में स्वंय के विवेकानुसार कार्य करने में सक्षम है।" व उपरोक्तानुसार तत्समय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र का प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण आदेश स्वंय के विवेकानुसार कार्य करने की सक्षमता की परिभाषा में आना अंकन करते हुए तत्समय किये गये किसी भी आदेश बाबत वर्तमान परिपेक्ष्य में कोई आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नही माना जाकर पूर्व में कार्यालय द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/15/आर्म्स/2860–63 दिनांक 01.04.2015 को यथावत रखा गया था जिसकी पुनः अपील माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय कोटा में की जाने पर प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया जाकर तथ्यात्मक स्पीकिंग आदेश पारित करने बाबत निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया व आवेदन पत्र पर सदभाविक आवश्यकता एंव गुणावगुण पर विचार व तथ्यों का समुचित अवलोकन करने पर हमारी विनम्र राय में न्यायालय हाजा द्वारा पुलिस अधीक्षक की तत्समय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश कमांक/न्याय/15/आर्म्स/2860–63 दिनांक 01.04.2015 फोती अनुज्ञापत्र प्रा0पत्र को निरस्त करने का उचित आधार था व तत्समय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र का आवेदन प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण आदेश स्वंय के विवेकानुसार कार्य करने की सक्षमता के तहत किया गया था। इसी कम में ARMS RULES,2016 के नियम 25 में स्पष्ट किया गया है "Grant of Licences to legal heirs- The licensing authority may grant a licence (PROVIDED THAT withstanding the provisions contained in Rule 12 of these rules, the lincensing authority may grant a licence to such legal heir if the eligibility conditions under the Act and these rules are fulfilled by the said legal heir and there are no adverse remarks in the police report. उक्तानुसार तत्समय किये गये किसी भी निर्णय बाबत वर्तमान परिपेक्ष्य में कोई नवीन आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नही है, अतः पूर्व में कार्यालय द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/15/आर्म्स/2860–63 दिनांक 01.04.2015 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

जिला कलक्टर एंव
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़